(ख) राजस्थान में उन स्थानों पर जहां तेल कम्पनियों द्वारा वर्ष 1980–81 के दौरान खाना पकाने की गैस के वितरक नियुक्त किये जाने हैं की सूची संलग्न है ।

(ग) वर्तमान प्रचलित नीति के अनुसार तेल कम्पनियों द्वारा दी जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की सभी डीलरशिपों का 25% अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये, 25 प्रतिशत बरोजगार स्नातकों के लिये, 10% विकलांग व्यक्तियों के लिये, 10% युद्ध के दौरान अपंग हुए रक्षा कर्मचारियों एवं युद्ध में शहीद सैनिकों की पत्नियों के लिये तथा 30 प्रतिशत व्यापारिक आधार पर देने के लिए आरक्षित हैं ।

एल० पी० जी० की डीलरशिपों की नियुक्ति सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रचलित समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित करके की जाती है तथा संबद्ध तेल कम्पनियों द्वारा गठित चयन समिति द्वारा उम्मीदवार चुना जाता है ।

राजस्थान में खनिज तेल के लिए सर्वेक्षण

2155. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में खनिज तेल के भण्डारों का पता लगाने की संभावना है; और

(ख) क्या सभी संभावित स्थानों का सर्वेक्षण कर लिया गया है और यदि हां, तो क्या तत्संबंधी प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र के पश्चिमी भाग को हाईड्रो-कार्बन्स के लिये प्रत्याशित समझा गया है । तथापि राजस्थान में अभी तक हाईड्रो-कार्बन्स के वाणिज्यिक भंडारों का पता नहीं लगा है ।

(ख) सब प्रत्याशित स्थानों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण हवाई-चुम्बकीय और भूमि-चुम्बकीय सर्वेक्षणों के द्वारा किया जा चुका है । चुने गए संभावित स्थानों पर परम्परागत सर्वेक्षण भी किये गए थे। प्राप्त किये गए आंकड़ों के आधार पर, विभिन्न संरचनाओं में 17 कुएं खोदे गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप क छोटे अंशिक गैस का पता लगा है और एक कुएं से गैस के प्रतिकूल संयोजन के संकेत मिले हैं । इस समय सुधरी हुई तकनीकों के साथ भूकम्पीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं ।

Cash Doles to D.P.s, Repatriates and Migrants

2156. SHRI A. T. PATIL: Will the Minister of SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) how many displaced persons, repatriates and migrants are being paid cash doles, as on 31st October, 1980;

(b) the amount spent from 1st April, 1980 to 31st October, 1980 on such cash-doles and what amount will be required to be spent on cash doles till 31-3-81; and

(c) schemes being implemented to reduce the payment of cash doles?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.